

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.  
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 1. श्रीमति कल्ली पुत्री स्व. मोती पत्नि<br>गुमान जाति मीणा निवासी ग्राम<br>ढिंढोल तह. बस्सी। हाल निवासी<br>ग्राम रामसिंहपुरा तह. बस्सी जिला<br>जयपुर। | बनाम | 1. जगदीश<br>2. मांगीलाल<br>3. गोपाल<br>4. डूंगरसी<br>पुत्रान स्व. ग्यारसा<br>5. ग्यारसी बेवा ग्यारसा(दौराने वाद<br>फोट) समस्त जाति मीणा<br>निवासी ग्राम ढिंढोल तह बस्सी<br>जिला जयपुर।<br>6. ग्राम पंचायत लालगढ जरिये<br>संरपच लालगढ पं.सं. बस्सी<br>तह. बस्सी।<br>7. उप पंजीयक बस्सी।<br>8. तहसीलदार बस्सी।<br>9. रामधन पुत्र छाजू<br>10. रामपाल पुत्र छाजू<br>जाति मीणा, निवासी ग्राम<br>ढिंढोल, तह बस्सी जयपुर।<br>11. श्रीमति अनोखी देवी पत्नी गैन्ता<br>12. श्रीमति जमना देवी पत्नी<br>रामजीलाल<br>जाति मीणा निवासी लखना रोड<br>मीणों की ढाणी, ग्राम वाटिका,<br>तह सांगानेर, जिला जयपुर। |
|---|------|---|

दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 47/16

दिनांक 02.05.2018

उपखण्ड अधिकारी बस्सी के निर्णय दिनांक 23.05.2015 की पालना में मोती की विरासती भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम डिलीट किया जाकर प्रार्थिया कल्ली देवी के नाम दर्ज हो गया है जब मोती के हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज ही नहीं है तो प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम किसी भी अवस्था में चलाने योग्य नहीं है। जब एक न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का निर्णय किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा उसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में अलग से निर्णय दिया जाना मल्टी प्लीसीटी ऑफ श्यूट की श्रेणी में आता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया/वादिया द्वारा प्रस्तुत पत्र 07R11CPC स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी प्रतिदावाकर्ता का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....

खर्चा..... इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना

आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02.05.2018 को जारी किया गया।

दस्तख्त.....



2.5.18  
Cont.--2  
जिला जयपुर

ओहदा.....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता			महन्ता		
वकील			वकील		
खर्चा			खर्चा		
गवाहन			गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत			बाबत		
इजराय			इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

*Amr*  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
बस्सी जिला जयपुर